बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना–800001

आवश्यक सूचना

Civil Appeal No- 18802/2017, Dr. Bhim Rao Ambedkar Vichar Manch Bihar Vrs. State of Bihar में माननीय उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्र संख्या–11/आ॰–न्याय–73/2024 12679/सा॰प्र॰, दिनांक 12.08.2024 द्वारा प्रकाशित बिहार गजट में तांती (ततवा) जाति को अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–33 पर पुनर्स्थापित किया गया है।

एकीकृत 69वीं संयुक्त मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा एवं 32वीं बिहार न्यायिक सेवा मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल तांती (ततवा) जाति से सम्बन्धित सभी उम्मीदवारों, जिन्होंने अपने ऑनलाईन आवेदन में अनुसूचित जाति (02) कोटि के आधार पर पान/स्वासी जाति का दावा किया है, को यह निदेश दिया जाता है कि वे अपने Username एवं Password से Login करते हुए दिनांक 16.08.2024 से 25.08.2024 तक अपनी जाति अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (04) कोटि के तहत् तांती (ततवा) अवश्य सुधार कर लें। साथ हीं उक्त सम्बन्ध में घोषणा पत्र भी अपलोड कर दें। घोषणा पत्र आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है। साक्षात्कार के समय वैसे सभी अभ्यर्थियों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र समर्पित करना आवश्यक होगा। क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र समर्पित नहीं करने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

यदि दिनांक 25.08.2024 तक सुधार नहीं किया जाता है तो वैसे उम्मीदवारों के अभ्यर्थित्व पर आयोग निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

14.8.2024

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।